न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 01/2019 G.C.M.S. No. 2019/00185 दर्ज दिनांक : 04.01.2019

अपीलार्थिगण:

लादुराम पुत्र तिलोकाजी के कायम मुकाम–

1/1. भंवरलाल पुत्र लादुराम
1/2. डायाराम पुत्र लादुराम
1/3. श्रीमती जेठीदेवी पुत्री लादुराम
1/4. पवनी पुत्री लादुराम समस्त जाति–माली, निवासीगण–राजेन्द्रनगर, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

धुकाराम पुत्र तिलोकाराम, जाति माली, निवासी राजेन्द्रनगर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी (सहायक कलक्टर) जालोर के राजस्व वाद संख्या 22/2011 बअनवान लादुराम बनाम धूकाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री शंभूदान आशिया, श्री मानवेन्द्र राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री उत्तम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक:25.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखंड अधिकारी जालोर के राजस्व वाद संख्या 22/2011 बअनवान लादुराम बनाम धूकाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा जालोर में स्थित पुराने खसरा संख्या 2080 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2017 से 2021 में नरसा पुत्र दौला 112 दर्ज थीं। जो तिलोका पुत्र मगा ने जरिये दस्तावेज दिनांकव 22.05.1961 को रू. 99 में नरसा पुत्र दौला से खरीद कर म्यूटेशन संख्या 78 दिनांक 04.06.1961 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत होने पर संपूर्ण भूमि तिलोका के नाम खातेदारी दर्ज हुई। क्योंकि 112 हिस्सा पूर्व से ही तिलोका के नाम दर्ज था। तत्पश्चात तिलोका ने अपने जीवनकाल में खेत खसरा संख्या 2080 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा को दिनांक 17.12.1984 को अपीलांट के हक में वसीयतनामा लिखकर स्टाम्प पेपर पर तीन गवाहों के रूप में रूबरू निष्पादन कर दिया। अपीलांट व रेस्पोंडेंट के पिता तिलोकाजी की मृत्यु सन 1991 में हुई। रेस्पोंडेंट प्रतिवादी धूकाराम शादी होने के एक वर्ष बाद पिता तिलोकाजी से अलग हो गया एवं उसके माता–पिता एवं भाई–बहिन का भरण–पोषण नहीं किया। रेस्पोंडेंट प्रतिवादी धूकाराम ने पिता व भाई के विरूद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाकर उनको परेशान किया तथा पिता का भरण–पोषण नहीं किया। पिता

तिलोकाराम की मृत्यु पर रेस्पोंडेंट धूकाराम ने म्यूटेशन उनकी जगह सभी वारिसान सहित अपने नाम करवा लिया। जबकि तिलोका ने अपनी स्वअर्जित उक्त संपत्ति का अपीलांट वादी को दिनांक 17.12.1984 को वसीयतनामा के जरिये अपीलांट वादी को कर दिया। तदुपरांत वादी अपीलांट ने अपने पक्ष में वसीयतसुदा 1/2 हिस्सा अपने नाम करवाने हेतु दावा बाबत हक खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके उपरांत न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में अपीलांट वादी की साक्ष्य को बंद कर अपीलांट वादी का वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में मानते हुए खारिज कर दिया। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि वादी अपीलांट का पूरा मामला साक्ष्य पर आधारित था तथा इस हेतु वादी अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर उसके पक्ष को प्रमाणित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने आवश्यक थें। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट का साक्ष्य में शपथ पत्र होने के बावजूद उसकी शहादत बंद कर देने से वादी अपीलांट अपने मुकदमें को प्रमाणित नहीं कर सका तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अपीलांट सेवानिवृत व्यक्ति है, जो अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। उसे अधिवक्ता ने कहा कि तुम्हारा शपथपत्र पेश हो गया है एवं आवश्यकता होने पर बुला दिया जाएगा। परंतु वादी अपीलांट को कोई सूचना नहीं हुई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 की जानकारी भी उसे अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 17.12.2018 को होते ही अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो नकलें दिनांक 28.12.2018 को अपीलांट को प्राप्त हुई एवं उसके पश्चात श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं करते हुए, प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों की अवहेलना कर उक्त विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि पूर्णतया निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें। म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। म्याद के बिंदु पर निर्णयन के साथ प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब व विलंबकाल को माफ करने के लिए मुख्य रूप से निवेदन किया है कि अपीलांट सेवानिवृत व्यक्ति है, जो अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। उसे अधिवक्ता ने कहा कि तुम्हारा शपथपत्र पेश हो गया है एवं आवश्यकता होने पर बुला दिया जाएगा। परंतु वादी अपीलांट को कोई सूचना नहीं हुई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 की जानकारी भी उसे अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक

17.12.2018 को होते ही अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो नकलें दिनांक 28.12.2018 को अपीलांट को प्राप्त हुई एवं उसके पश्चात श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा बहस के दौरान अपीलांट के उक्त कथनों व बेबुनियाद बताते हुए विलंब को अपीलांट की लापरवाही बताया एवं अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

2. अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट का वादपत्र खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट की उपस्थिति में किया गया था। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.01.2019 को लगभग 730 दिनों के विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं तथा विलंब के कारण के रूप में अपीलांट सेवानिवृत व्यक्ति होने, परिवार का एकमात्र कमाने वाला होने एवं वादी अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं देने का अंकन किया है। तथा दिनांक 27.12.2018 को निर्णय की जानकारी होते ही दिनांक 28.12.2018 को नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है।

3. यहां हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2016(4) डी.एन.जे. (राज) 1729 जितेन्द्रसिंह बनाम निर्वाण चेरिटेबल ट्रस्ट में प्रदत्त अभिमत का उल्लेख करना उचित समझते हैं जिसके अनुसार– ***"निगरानी पेश करने में 234 दिनों का विलंब– याची ने अभिवचन किया कि वकील ने आदेश के बारे में सूचना नहीं दी– याची संख्या 1 ने उसका वकील नहीं बदला– मुव्वकिल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिए एवं लंबित कार्यवाहियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, आधारहीन कथन किया, विलंब शमन हेतु सत्याभाषी स्पष्टीकरण में ही, याचीगण स्थापित करने में असफल रहें कि वे मियाद में निगरानी पेश करने से रोके गये, निर्णीत, धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र व निगरानी याचिका खारिज किये।"***

3. हमारे विनम्र अभिमत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रकट अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है। अतः अपीलांट द्वारा लगभग 730 दिनों दीर्घ विलंबकाल से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने, अपीलांट द्वारा स्वयं को सेवानिवृत व्यक्ति होना अंकित किया है, जिससे एक शिक्षित व्यक्ति से पर्याप्त सतर्कता की अपेक्षा की जा सकती हैं, लेकिन अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में विलंबकाल के कारण के लिए अपने अधिवक्ता को उत्तरदायी ठहराना किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य, युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं उचित कारण नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है। अतः अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक, विश्वसनीय एवं युक्तियुक्त कारण साबित नहीं करने एवं न ही ऐसी परिस्थितियां जो अपीलांट के नियंत्रण से परे हों तथा जिसके फलस्वरूप अपीलांट अंदर म्याद अपील प्रस्तुत नहीं करने के लिए बाध्य रहा हों, साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहने के कारण विलंबकाल किसी भी दृष्टि से शमन योग्य नहीं हैं। लिहाजा अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 भली–भांति साबित

नहीं होता है तथा स्वीकार योग्य नहीं हैं, फलस्वरूप अपील अपीलांट अपील के लिए विहित अवधि से परे एवं विहित अवधि से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली